

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Kolhan Title Suit No.- 52/2022-23

कान्हे राम कोड़ा।

बनाम

नरसिंह कोड़ा एवं अन्य।

आदेश

यह वाद दिनांक- 22.07.2022 को श्री कान्हे राम कोड़ा, पिता- स्व० नरेश हो उर्फ स्व० नरेश चंद्र कोड़ा, ग्राम- कासिरा, टोला- तालासाई, पोस्ट- मालुका, थाना- जगन्ननथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र में वर्णित भूमि पर Partition and allotment of half share के लिए प्रतिवादी नरसिंह कोड़ा, पिता- स्व० नरेश हो उर्फ स्व० नरेश चंद्र कोड़ा, ग्राम- कासिरा, टोला- तालासाई, पोस्ट- मालुका, थाना- जगन्ननथपुर,, जिला- पश्चिमी सिंहभूम अन्य 01 के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी या प्रतिवादी तथा उनके विद्ववान अधिवक्ता कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादी को वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा